

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ए-4()लेखा/प्लान/08/ 912

दिनांक : 5/5/09

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार्ये
2. समस्त, संयुक्त निदेशक जोन

विषय :- वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत डीडीटी कीटनाशक के छिडकाव कार्य हेतु बजट आवंटन के क्रम में।

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशकों के छिडकाव कार्य दिनांक 15.05.09 से 31.07.09 (प्रथम चरण) हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार्ये एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, जोन को निम्नलिखित बजट शीर्ष में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है :-

बजट शीर्षक:-

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

06-लोक स्वास्थ्य

101-रोगों का निवारण एवं नियंत्रण

(01)-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आयोजना व्यय)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	विस्तृत मद						कुल याग
		यात्रा मत्ता (03)	विज्ञापन एवं प्रचार (11)	वाहन संधारण/ पीओएल (20)	सामग्री प्रदाय (22)	संविदा वाहन(वाहन किराये हेतु) (36)	संविदा व्यय (41)	
1.	अलवर	0.10	0.20	0.50	1.00	0.55	1.00	3.35
2.	दौसा	0.10	0.10	0.15	0.75	0.20	1.00	2.30
3.	जयपुर-प्रथम	0.10	0.10	0.25	1.00	0.25	1.00	2.70
4.	जयपुर-द्वितीय	0.10	0.10	0.25	1.00	0.25	1.00	2.70
5.	झुन्झुनू	0.10	0.10	0.15	0.50	0.20	0.00	1.05
6.	सीकर	0.10	0.10	0.20	0.75	0.25	0.30	1.70
7.	मरतपुर	0.10	0.15	0.25	1.00	0.20	1.00	2.70
8.	धौलपुर	0.10	0.15	0.20	0.75	0.25	1.50	2.95
9.	करोली	0.10	0.15	0.25	1.00	0.20	2.00	3.70
10.	सवाईमाधोपुर	0.10	0.10	0.25	1.00	0.20	1.00	2.65
11.	बीकानेर	0.10	0.15	0.30	1.00	0.55	1.00	3.10
12.	श्रीगंगानगर	0.10	0.10	0.20	1.00	0.25	0.50	2.15
13.	हनुमानगढ	0.10	0.15	0.20	1.00	0.20	1.00	2.65
14.	रतनगढ (चूरु)	0.10	0.10	0.15	0.75	0.20	0.50	1.80
15.	बाड़मेर	0.10	0.15	0.50	1.00	0.55	2.00	4.30
16.	जैसलमेर	0.10	0.15	0.50	1.00	0.55	2.00	4.30
17.	जालौर	0.10	0.10	0.25	1.00	0.20	0.40	2.05
18.	जोधपुर	0.10	0.20	0.50	1.00	0.55	1.00	3.35
19.	पाली	0.10	0.10	0.25	0.75	0.20	0.50	1.90
20.	सिरोही	0.10	0.10	0.25	0.75	0.20	0.50	1.90
21.	बांसवाडा	0.10	0.15	0.30	1.00	0.20	0.40	2.15
22.	चित्तौडगढ	0.10	0.15	0.25	0.75	0.25	0.40	1.90
23.	प्रतापगढ	0.10	0.15	0.25	0.75	0.25	1.00	2.50
24.	डुंगरपुर	0.10	0.15	0.50	1.00	0.20	1.00	2.95
25.	राजसमन्द	0.10	0.10	0.25	0.75	0.20	0.60	2.00
26.	उदयपुर	0.10	0.15	0.50	1.00	0.55	2.00	4.30
27.	बून्दी	0.10	0.10	0.25	1.00	0.20	1.00	2.65
28.	बांरा	0.10	0.15	0.30	0.75	0.25	1.00	2.55
29.	झालावाड	0.10	0.15	0.30	1.00	0.20	0.60	2.35
30.	कोटा	0.10	0.15	0.25	1.00	0.20	1.00	2.70
31.	अजमेर	0.10	0.15	0.50	1.00	0.55	1.00	3.30
32.	भीलवाडा	0.10	0.20	0.50	1.00	0.55	2.00	4.35
33.	नागौर	0.10	0.10	0.15	0.50	0.20	1.50	2.55

34.	टोंक	0.10	0.10	0.15	0.50	0.20	0.30	1.35
35.	जोन-जयपुर	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
36.	जोन-मरतपुर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
37.	जोन-बीकानेर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
38.	जोन-जोधपुर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
39.	जोन-उदयपुर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
40.	जोन-कोटा	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
41.	जोन-अजमेर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
	कुल योग	3.40	4.50	12.00	30.00	10.00	33.00	92.90

बजट शीर्षक:-

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

06-लोक स्वास्थ्य

796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(03)-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आयोजना व्यय)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	विस्तृत मद			कुल योग
		विज्ञापन एवं प्रचार (11)	सामग्री प्रदाय (22)	संविदा व्यय (41)	
1	सिरोही	0.10	0.50	0.50	1.10
2	बांसवाडा	0.10	0.50	0.50	1.10
3	चित्तौडगढ	0.10	0.50	0.50	1.10
4	प्रतापगढ	0.10	0.50	1.00	1.60
5	झुंजरपुर	0.10	0.50	1.50	2.10
6	उदयपुर	0.10	0.50	2.00	2.60
	योग:-	0.60	3.00	6.00	9.60

(अक्षरे कुल राशि एक सौ दो लाख पचास हजार मात्र)

1. आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्त एवं लेखा नियम (G.F.& A.R.) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जावे एवं व्यय की सूचना से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय को अवगत कराते हुये प्रति बजट अनुभाग को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. संविदा व्यय उपमद में आवंटित बजट का उपयोग करते समय डी.डी.टी. कीटनाशक की उपलब्धता के आधार पर स्त्रे कार्य की पाक्षिक समीक्षा की जावे, तत्पश्चात राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे तथा कीटनाशक छिडकाव कार्य पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान उक्त मद संविदा व्यय से किया जावे।
3. मलेरिया के सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु संयुक्त निदेशकों द्वारा वाहन संधारण/पीओएल मद में आवंटित राशि का उपयोग मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मे ही किया जावे।

ह.

(एस0एस0 बोहरा)

वित्तीय सहायकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ए-4 ()लेखा/प्लान/08 / 214

दिनांक : 5/5/09

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) मुख्यालय को उनकी अ0टी0 क्रमांक : प.3/मलेरिया बजट/2009-10/326 दिनांक 22.4.09 के क्रम मे प्रेषित कर लेख है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रथम चरण दिनांक 15.5.09 से 31.7.09 के लिये अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश अपने स्तर से जारी कर प्रतिलिपि शीघ्र प्रेषित करें।
2. प्रभारी, अंक मिलान, मुख्यालय।

वरिष्ठ वित्तीय सहायकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर